

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 13/2020

दायर दिनांक —06.07.2020

उनवान

1. फूलन्ता आयु 34 साल पत्नी श्री महेन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू हाल निवासी डाँ० कॉलोनी बारां तहसील बारां जिला बारां राज०।
2. मुस्कान नागर आयु 16 साल पुत्री श्री महेन्द्र जाति धाकड।
3. प्रिंस नागर आयु 12 साल पुत्र श्री महेन्द्र जाति धाकड नाबालिग जरयेवली माता फूलन्ता पत्नी श्री महेन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू हाल डाँ० कॉलोनी बारां तहसील बारां जिला बारां राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री बलराम जाति धाकड निवासी ग्राम जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. कन्हैया लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. घनश्याम पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
4. घीसी बाई पत्नी स्व० श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. बिरधी लाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
6. भवानीशंकर पुत्र श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
7. राजेन्द्र पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
8. राजमल पुत्र श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
9. राधेश्याम पुत्र श्री धन्ना लाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
10. सत्यनाराण पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
11. संतोष बाई पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
12. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज०।
13. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट



उपस्थिति:—


प्रार्थी :- विद्वान अभिभाषक श्री ललित नागर।

अप्रार्थी :- विद्वान अभिभाषक श्री सोमित्र सिंह।

निर्णय

दिनांक 22/07/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी-पूरी आशा है। प्रार्थीगण स्थगन आदेश प्राप्ति हेतु निम्न निवेदन करते हैं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की ख0नं0 110/667 की रकबा 0.16 है0, ख0नं0 112 की रकबा 1.82 है0, ख0नं0 113 की रकबा 1.34 है0, ख0नं0 116 की रकबा 0.86 है0, ख0नं0 117 की रकबा 0.94 है0, ख0नं0 118 की रकबा 1.16 है0, ख0 नं0 119 की रकबा 0.40 है0, ख0नं0 120 की रकबा 0.26 है0, ख0नं0 121 की रकबा 0.94 है0, ख0नं0 122 की रकबा 0.89 है0, ख0नं0 123 की रकबा 0.25 है0, ख0नं0 130 की रकबा 2.00 है0, ख0नं0 131 की रकबा 1.73 है0, कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है0 रूपया स्थित है, उक्त आराजियात सरकारी कागजात भू राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 12 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें अप्रार्थी क्रमांक 1 रमेश चन्द्र का हिस्सा 1/4 है इसी प्रकार ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी ख0नं0 129 की रकबा 4.37 है0, ख0 नं0 214 की रकबा 3.05 है0, ख0नं0 306/687 की रकबा 0.09 है0, ख0 नं0 323/684 की रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 334 की रकबा 0.06 है0, ख0नं0 406/727 की रकबा 0.03 है0, कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है0 अवस्थित है उक्त आराजियात का हिस्सा अप्रार्थी क्रमांक 1 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी प्रकार ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल में वर्तमान खाता संख्या खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित ख0नं0 111 की रकबा 0.74 है0, ख0 नं0 124 की रकबा 0.01 है0, कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है0 अवस्थित है उक्त आराजियात अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें अप्रार्थी क्रमांक 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-



प्रार्थना पत्र की म नं. 1 में वर्णित कुल किता 21 कुल रकबा 21.14 है० मृतक गणेशराम के खातेदारी में दर्ज थी। गणेशराम की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात गणेशराम के पुत्रों के खातेदारी में दर्ज हुई है जिसमें अप्रार्थी क्रमांक 1 रमेशचन्द का हिस्सा 1/4 है रमेशचन्द के एक पुत्री व तीन पुत्र है जिसमें नवल व महेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण क्रमांक 1 ता 3 म1तक महेन्द्र के वैधानिक वारिसान है उक्त आराजियात पुश्तेनी व पैत्रिक होने से प्रार्थीगण का भी रमेशचन्द के हिस्से में बांट बराकर का कानूनी हिस्सा है। प्रार्थीया क्रम 1 के पति व प्रार्थी क्रमांक 2 व 3 के पिता महेन्द्र की मृत्यु होने के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीगण को घर से निकाल दिया तथा प्रार्थीगण को अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया। अप्रार्थी क्रम 6 ने अपने पुत्र महेन्द्र के हिस्से की आराजी को भी प्रार्थीगण को देने से साफ मना कर दिया। ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की ख०नं० 110/667 की रकबा 0.16 है०, ख०नं० 112 की रकबा 1.82 है०, ख०नं० 113 की रकबा 1.34 है०, ख०नं० 116 की रकबा 0.86 है०, ख०नं० 117 की रकबा 0.94 है०, ख०नं० 118 की रकबा 1.16 है०, ख० नं० 119 की रकबा 0.40 है०, ख० नं० 120 की रकबा 0.26 है०, ख०नं० 121 की रकबा 0.94 है०, ख०नं० 122 की रकबा 0.89 है०, ख०नं० 123 की रकबा 0.25 है०, ख०नं० 130 की रकबा 2.00 है०, ख०नं० 131 की रकबा 1.73 है०, कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है० रूपया एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी ख०नं० 129 की रकबा 4.37 है०, ख० नं० 214 की रकबा 3.05 है०, ख०नं० 306/687 की रकबा 0.09 है०, ख०नं०

323/684 की रकबा 0.04 है, ख0 नं0 334 की रकबा 0.06 है, ख0 नं0 406/727 की रकबा 0.03 है कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल में वर्तमान खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित ख0 नं0 111 की रकबा 0.74 है, ख0 नं0 124 की रकबा 0.01 है, कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 रमेशचन्द्र जी के पुत्रवधु व पौत्र व पौत्री होने के नाते प्रार्थीगण अपने हिस्से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर अपने हक व हिस्से का प्रार्थीगण बंटवारा करा पा सकने व उसका प्रथक से अंकन कराने तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थी क्रमांक 2 व 3 नाबालिग है तथा प्रार्थीया क्रमांक 1 के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहे है प्रार्थीगण क्रमांक 1 ता 3 के हक एक दूसरे के विपरित नहीं है अस्तु जरियेवली माता प्रार्थीगण क्रमांक 2 व 3 की ओर से यह प्रार्थना प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने कई मर्तबा राजस्व अधिकारियों से अपने हिस्से को प्रथक से अपने खाते दर्ज करने व जुदागाने खाते में अपना नाम अंकित करने हेतु निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने प्रथम दृष्टया मामला ठोस तथ्यों पर आधारित करवाया है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी क्रमांक 1 बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिये न्यायाहित में प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफेसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अन्य कारण बहस मोखिक निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफेसला वाद अप्रार्थी क्रमांक 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजियात ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल में वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की ख0नं0 110/667 की रकबा 0.16 है, ख0नं0 112 की रकबा 1.82 है, ख0नं0 113 की रकबा 1.34 है, ख0नं0 116 की रकबा 0.86 है, ख0नं0 117 की रकबा 0.94 है, ख0नं0 118 की रकबा 1.16 है, ख0 नं0 119 की रकबा 0.40 है, ख0 नं0 120 की रकबा 0.26 है, ख0नं0 121 की रकबा 0.94 है, ख0नं0 122 की रकबा 0.89 है, ख0नं0 123 की रकबा 0.25 है, ख0नं0 130 की रकबा 2.00 है, ख0नं0 131 की रकबा 1.73 है, कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है रूपया एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी ख0नं0 129 की रकबा 4.37 है, ख0 नं0 214 की रकबा 3.05 है, ख0नं0 306/687 की रकबा 0.09 है, ख0नं0 323/684 की रकबा 0.04 है, ख0नं0 334 की रकबा 0.06 है, ख0नं0 406/727 की रकबा 0.03 है कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल में वर्तमान खाता संख्या खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित ख0 नं0 111 की रकबा 0.74 है, ख0 नं0 124 की रकबा 0.01 है, कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है को रहन बेचान, मुन्तकिल आदि नहीं करे व अप्रार्थी क्रमांक 13 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड को यथावत बनाये रखे तथा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने

देवे तथा अप्रार्थीगण क्रमांक 1 प्रार्थीगण के कब्जे काशत में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें। ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधी से करावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब बन्द किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि आराजियात ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल मे वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की ख0नं0 110/667 की रकबा 0.16 है0, ख0नं0 112 की रकबा 1.82 है0, ख0नं0 113 की रकबा 1.34 है0, ख0नं0 116 की रकबा 0.86 है0, ख0नं0 117 की रकबा 0.94 है0, ख0नं0 118 की रकबा 1.16 है0, ख0 नं0 119 की रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 120 की रकबा 0.26 है0, ख0नं0 121 की रकबा 0.94 है0, ख0नं0 122 की रकबा 0.89 है0, ख0नं0 123 की रकबा 0.25 है0, ख0नं0 130 की रकबा 2.00 है0, ख0नं0 131 की रकबा 1.73 है0, कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है0 एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में आराजियात वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी ख0नं0 129 की रकबा 4.37 है0, ख0 नं0 214 की रकबा 3.05 है0, ख0नं0 306/687 की रकबा 0.09 है0, ख0नं0 323/684 की रकबा 0.04 है0, ख0नं0 334 की रकबा 0.06 है0, ख0नं0 406/727 की रकबा 0.03 है0 कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है0 तथा ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल मे वर्तमान खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित ख0 नं0 111 की रकबा 0.74 है0, ख0 नं0 124 की रकबा 0.01 है0, कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है0 जो अप्रार्थी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 2 ल 12 का जन्म से अधिकार निहित है। प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काशत की भूमि को रहन बैचान व किसी भी प्रकार की व्यवधान पेदा नहीं करें। अप्रार्थी क्रम 13 को पाबन्द किया जावे की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाय रखे।

तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम जिरोद में अप्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व/शामलाती खाते की आराजियात ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल मे वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है0 में अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 तथा ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां के माल में वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है0 सम्पूर्ण भूमि एवं ग्राम जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू के माल मे वर्तमान खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है0 में अप्रार्थी क्रम 1 हिस्सा 1/4 भूमि खाता दर्ज है। जो पैत्रिक संपत्ति है। पारिवारिक सजरे अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 के 1 पुत्री 3 पुत्र है जिसमें प्रार्थी जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता है। खाता संख्या 178 पुराना 162 की कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है0 में प्रार्थीगण के पति/पिता का हिस्सा 1/20 व खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी कुल 6 किता

कुल रकबा 7.64 है0 में प्रार्थीगण के पति/पिता का हिस्सा 1/5 व खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है0 में प्रार्थीगण के पति/पिता का हिस्सा 1/20 बनता है। प्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 मृतक महेन्द्र के वैधानिक वारिश है। उक्त आराजीयात पुश्तेनी व पैत्रिक होने से प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार नियत है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 व 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ग्राम जीरोद तहसील अटरू के माल मे वर्तमान खाता संख्या 178 पुराना 162 की कुल 13 किता कुल रकबा 12.75 है0 में अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 में से प्रार्थीगण का हिस्सा 1/20 तथा ग्राम जीरोद में वर्तमान खाता संख्या 176 पुराना 163 में वर्णित आराजी कुल 6 किता कुल रकबा 7.64 है0 सम्पूर्ण भूमि में से प्रार्थीगण का हिस्सा 1/5 एवं ग्राम जीरोद मे वर्तमान खाता संख्या 177 पुराना 164 में वर्णित कुल 2 किता कुल रकबा 0.75 है0 में अप्रार्थी क्रम 1 हिस्सा 1/4 में से प्रार्थीगण का हिस्सा 1/20 को रहन, बेचान नही करें तथा राजस्व रिकार्ड को यथावत बनाये रखें। प्रार्थीगण को उनके हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां